न्यायालयः जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP1893
सिविल निगरानी संख्या– 63/2025
कंप्यूटर रजि०सं०– 63/2025
(CNR No–UPGZ010116212025)

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री प्यारेलाल आयु लगभग 48 वर्ष
2. विनोद कुमार पुत्र श्री प्यारेलाल आयु लगभग 44 वर्ष
निवासीगण कृष्णा कालोनी, मुरादनगर, तहसील–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद।
3. श्रीमती रेनू पत्नी श्री सुनील आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी मकान नं. 429 ग्राम दुहाई तहसील व जिला–गाजियाबाद।

..... निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण

बनाम

1. महराज खान पुत्र स्व० श्री सरदार खान
2. मौ० सिराज पुत्र स्व० श्री सरदार खान
3. सालार खान पुत्र स्व० श्री सरदार खान
4. शमा परवीन पत्नी स्व० श्री सरताज खान
5. सरफराज खान पुत्र स्व० श्री सरताज खान
6. आमिर खान पुत्र स्व० श्री सरताज खान
7. कादर खान उम्र 26 वर्ष पुत्र स्व० सरताज खान
8. सवा उम्र 23 वर्ष पुत्री स्व० सरताज खान
निवासीगण मौ० पठानान मुरादनगर, तहसील–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद।
9. सचिन पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मोरटा, तहसील सदर जिला–गाजियाबाद।

.....रेस्पोडेंट/वादीगण

09.03.2026

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी, निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की ओर से मूल वाद संख्या 01/2024 महराज खान आदि बनाम चन्द्रप्रकाश आदि में अवर न्यायालय / न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, तहसील मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है जिसके द्वारा अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र 42 ग 2 निरस्त किया गया है।

2. निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की ओर से अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र 42 ग 2 आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 सी.पी.सी. इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.09 17:01:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि वादीगण ने वाद योजित करते समय कृषि भूमि खसरा संख्या 139 मि० रकबा 0.4300 है० स्थित ग्राम सहविस्वा, परगना–जलालाबाद, तहसील–मोदीनगर, जिला–गाजियाबाद में सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज दर्शाते हुए वाद योजित किया तथा यह अभिकथन किया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं व कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। वादीगण ने अस्थायी व्यादेश हेतु प्रार्थनापत्र 6 ग प्रस्तुत किया तथा अमींन कमीशन हेतु याचना की गयी। वादीगण ने अमीन से मिलकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करायी है। वाद के दौरान मौके पर कई परिर्तवन हो चुके हैं जिस कारण वाद के निस्तारण हेतु मौके की सही स्थिति आना आवश्यक है। निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अमींन कमिशन नियुक्त किया जाए।

3. विपक्षीगण/वादीगण की ओर से आपत्ति 44 ग 2 प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वे वादग्रस्त सम्पत्ति के सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर मालिक स्वामी है तथा वादीगण की यह भूमि दादालाई है। प्रतिवादीगण बिना किसी विधिक अधिकार के वादीगण की भूमि को अपना बताकर अवैध निर्माण करने की धमकी दी है। अग्रेतर यह भी कहा है कि वादीगण ने वादपत्र के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. दिया। न्यायालय द्वारा अमीन कमीशन नियुक्त किया तथा अमींन कमीशन देहात मौके पर गये एवं मौके पर पैमाइश की। पैमाइश के समय प्रतिवादीगण भी मौके पर उपस्थित थे। अमींन कमींशन द्वारा दिनांक 09.01.2024 को मौके की स्थिति पैमाइश कर मौके पर नक्शा बनाया तथा अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। प्रार्थनापत्र दिनांक 30.01.2025 में मात्र एक ही आधार दिया है कि वादी ने अमींन से मिलकर गलत रिपोर्ट लगवा ली है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने अधिपत्र के पुस्त पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया । मौके की स्थिति अमींन कमीशन की आख्या व नक्शा दिनांक 09.01.2024 के अनुसार ही मौके पर आज तक हैं। कोई परिवर्तन मौके पर नहीं हुआ है।

4. अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र 42 ग निरस्त करते हुए आदेश में यह उल्लेख किया है कि वाद में अमीन आख्या वादीगण के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय के आदेश से मंगायी गयी। अमींन आख्या मय नक्शा कागज संख्या 16 ग 2/1 व 16 ग 2/2 दिनांकित 09.01.2024 पत्रावली पर दाखिल है। अमींन कमीशन पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति दिनांकित 12.02.2024 प्रस्तुत की गयी तथा न्यायालय द्वारा अमीन कमशीन आख्या को साक्ष्याधीन पुष्ट किया गया। चूंकि मौके की स्थिति की बावत पूर्व में ही आख्या मंगायी जा चुकी है और साक्ष्याधीन पुष्ट की जा चुकी है इसलिए न्यायालय के मत में अतिरिक्त कमीशन आख्या मंगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा दौरान वाद मौके की स्थिति में हुई तब्दीलियों के बारे में कोई विशिष्ट कथन नहीं किये गये हैं।

<u>निगरानी के आधार एवं तर्क</u>

5. निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की ओर से वर्तमान निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि रेस्पोडेंट/वादीगण ने वाद संख्या 01/2024 स्वयं को वादग्रस्त सम्पत्ति में संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज दर्शाते हुए दायर किया है। वादीगण के

प्रार्थनापत्र 8ग पर अमींन आख्या आहूत की गयी तथा न्यायालय के आदेशानुसार अमींन ने मौके पर जाकर अपनी रिपोर्ट व नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत किया। अमींन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिवादीगण के समन अधिपत्र के साथ संलग्न नहीं है। विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 चन्द्रप्रकाश व विनोद कुमार तथा एक अन्य व्यक्ति ताज चौधरी भी मौके पर मिले जब प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 को अमींन के विवादित सम्पत्ति पर जाने की कोई सूचना नहीं दी तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 विवादित स्थल पर कैसे पहुंच सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का यह मत कि उक्त प्रार्थनापत्र 42ग 2 प्रतिवादीगण द्वारा निस्तारण में विलम्ब करने के उददेश्य से दिया गया है, गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस के दौरान बताया कि मौके पर प्रतिवादीगण के मकान बने हैं, किन्तु अवर न्यायालय ने इस पर ध्यान न देकर भूल की है।

<u>निगरानी पर आपत्ति</u>

6. रेस्पोडेंट/वादीगण की ओर से निगरानी के विरूद्ध आपत्ति 21ग दाखिल करते हुए कहा है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अमींन मौके पर गये थे उनके द्वारा मौके की पैमाईश की गयी थी। पैमाइश के समय प्रतिवादीगण भी मौके पर उपस्थित थे। अमींन कमीशन द्वारा दिनांक 09.01.2024 को मौके की स्थिति की पैमाइश कर मौके का नक्शा बनाया गया । प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया तथा अमींन आख्या 16ग 2 के विरूद्ध दिनांक 12.02.2024 को आपत्ति दाखिल की गयी थी। अमींन आख्या को संतुष्टि के आधार पर पुष्ट किया गया था। दिनांक 30.01.2025 को निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 42ग प्रस्तुत किया गया तथा आरोप लगाया गया कि वादीगण ने अमींन से मिलकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करायी है जो कि मौके की स्थिति के विपरीत हैं। वाद के दौरान मौके पर अहम तब्दीलियां आयी है वाद के सही निस्तारण हेतु मौके की नई स्थिति आनी आवश्यक है। इस कारण अमींन रिपोर्ट का मंगाया जाना आवश्यक है। अग्रेतर यह कह है कि कोई परिवर्तन मौके पर नहीं हुआ है। कमीशन अमींन का नक्शा नजरी दिनांक 09.01.2024 मौके की वस्तुस्थिति के आधार पर बनाया गया था मौके पर आज तक यही स्थिति है। न्यायालय द्वारा अमींन आख्या को साक्ष्याधीन पुष्ट किया गया था। वादीगण का प्रार्थनापत्र 6ग 2 का निस्तारण न हो सके तथा वाद को लम्बित रखने के आशय से दाखिल किया गया है। आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. के अन्तर्गत द्वितीय अमींन कमीशन जारी होने का कोई प्रावधान नहीं है। निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की निगरानी बलहीन है और सव्यय निरस्त की जावे।

7. निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिआपत्ति दाखिल करते हुए कहा है कि प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित नहीं थे। वादीगण का अपने वाद में यह कहना कि प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि खसरा संख्या 139 जो कि कृषि भूमि है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं अमींन ने अपनी रिपोर्ट में वादीगण द्वारा बताये गये विवादित स्थल पर कुछ मकानों का निर्माण कार्य होना दर्शाया है। प्रतिवादीगण का यह कहना है कि कथित विवादित स्थल खसरा संख्या 139मि. है जिस पर प्रतिवादीगण के मकान बने हैं जिसमें प्रतिवादीगण रह रहे हैं जिसके फोटोग्राफ प्रतिवादीगण ने रिवीजन में दाखिल किये हैं। अमींन आख्या दिनांक 09.01.2024 के बाद मौके की स्थिति में जो परिवर्तन हुए है वह परिवर्तन न्यायालय के संज्ञान में आना आवश्यक है। निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता की

निगरानी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाए।

8. निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता एवं रेस्पोडेंट/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के विस्तृत तर्कों को सुना। पत्रावली व आक्षेपित आदेश का सम्यक परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

9. मूलवाद संख्या 01/0224 महराज खान आदि बनाम चन्द्रप्रकाश आदि की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त मूलवाद दिनांक 05.01.2024 को दायर किया गया। वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 8 ग 2 आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र पर दिनांक 05.01.2025 को अमींन कमीशन आख्या आहूत की गयी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अमींन द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 09.01.2024 मय नक्शा नजरी दाखिल की गयी। अमींन कमीशन द्वारा अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 चन्द्रप्रकाश व विनोद कुमार तथा एक अन्य व्यक्ति ताज चौधरी भी मौके पर मिले। इन्हें न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने अधिपत्र की पुश्त पर हस्ताक्षर करने से मना किया तथा ताज चौधरी ने अपने हस्ताक्षर अधिपत्र की पुश्त पर किया। तत्पश्चात उपस्थित वादी संख्या–3 की निशानदेही पर विवादित सम्पत्ति का निरीक्षण कर मापचित्र बनाया गया। अग्रेतर यह भी अंकित किया है कि विवादित सम्पत्ति को अक्षर ए बी सी डी से दिखाया गया है इसमें अक्षर बी सी के जे तथा अक्षर एल डी व डी एच व ई एफ व एच जी स्थान पर दीवार बनी है जिन्हें चित्र में दीवारों की उँचाई सहित यथास्थान दिखाया गया है। यह निर्माण नया किया गया है, निरीक्षण के समय मिस्त्री व मजदूर कार्य करते पाये गये। वादी संख्या–3 ने नोट कराया कि वादीगण विवादित भूमि खसरा नम्बर 139 मि० ग्राम सहबिस्वा के सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज व स्वामी है, जिस पर प्रतिवादीगण दीवारों का निर्माण कर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उपस्थित एक अन्य व्यक्ति ताज चौधरी ने बताया कि अक्षर ए आई जी एच से दर्शित भूमि उसके खसरा नम्बर 138 की भूमि है। प्रतिवादीगण 1 व 2 ने यह भी नोट कराया कि खसरा नम्बर 138 की कुछ भाग की भूमि उनके द्वारा बैनामें से क्रय की गयी।

10. कमीशन रिपोर्ट पर निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति कागज संख्या 26 ग 2 दिनांकित 12.02.2024 दाखिल की गयी। अवर न्यायालय द्वारा आदेशपत्र दिनांकित 12.03.2024 में यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा की गयी आपत्ति को प्रतिवादी साक्ष्य के माध्यम से बता सकता है। कमीशन द्वारा मौके की स्थिति दर्शायी गयी है। निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की ओर से पुनः प्रार्थनापत्र 42 ग 2 आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत करते हुए अमींन कमीशन नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर विपक्षीगण/वादीगण की ओर से आपत्ति 44 ग 2 प्रस्तुत की गयी है। अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र 42 ग 2 दिनांक 15.05.2025 को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अमींन कमीशन आख्या को साक्ष्याधीन पुष्ट किया गया है। यह भी उल्लिखित किया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा दौरान वाद मौके की स्थिति में हुई तब्दीलियों के बारे में कोई विशिष्ट कथन नहीं किये गये हैं तथा प्रतिवादीगण द्वारा मामले

के निस्तारण में विलम्ब करने के आशय से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण का यह कथन कि प्रतिवादीगण 1 व 2 मौके पर उपस्थित नहीं थे, परन्तु अमींन आख्या में स्पष्ट रूपसे अंकित है कि प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने अधिपत्र की पुश्त पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पत्रावली अभी प्रार्थनापत्र 6ग2 के निस्तारण हेतु नियत चली आ रही है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य है। तदनुसार निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त होने योग्य है तथा अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पुष्ट होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(i) निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त सिविल निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय/न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय तहसील मोदीनगर जिला–गाजियाबाद द्वारा मूलवाद संख्या 01/2024 महराज खान आदि बनाम चन्द्र प्रकाश आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 15.05.2025 पुष्ट किया जाता है।

(ii) निर्णय/आदेश की एक प्रति मूल पत्रावली के साथ अवर न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित की जाए।

(विनोद सिंह रावत)
जनपद न्यायाधीश
दिनांक 09.03.2026 गाजियाबाद।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(विनोद सिंह रावत)
जनपद न्यायाधीश
दिनांक 09.03.2026 गाजियाबाद।